छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन बर्ष 2009-2010 **पटल पर रखेंगे.**

(4) सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 - 2005, 2005 -2006, 2006- 2007 एवं 2007-2008 **पटल पर रखेंगी.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, देवजी भाई पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, धान उपार्जन केन्द्रों में सूखत हानि बतायी जाकर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला पंचायत, दुर्ग में चयनित शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति नहीं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चंदेल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री संतोष बाफना, सभापति, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमश: 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य, भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम बिहारपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम भैयाथान में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम दर्रीपारा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण करने,

(2) श्री ब्रम्हानंद, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम तारसगांव से शाहवाड़ा मार्ग में स्थित महानदी पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम कसावाही (चारामा) में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम मरकाटोला में हाई स्कूल खोलने,

(3) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम रेवे से खम्हरिया मार्ग में शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण करने,

(ii) खर्रा केनाल का लायनिंग एवं मरम्मत कार्य करने,

(iii) ग्राम सरदा से अतरगढ़ी-बुढ़ाजौंग-जौंग तक मार्ग निर्माण करने,

(iv) बेमेतरा से सिरवाबांधा तक मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण करने,

(v) ग्राम रेवे में हाई स्कूल खोलने,

(vi) ग्राम नवागांव पेण्ड्री में पेयजल व्यवस्था करने,

(vii) ग्राम चेटुवा में शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण करने,

(viii) ग्राम तबलघोर में शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण करने,

(ix) ग्राम सल्धा में शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण करने,

(4) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम बैतारी से जबलपुर मार्ग में स्थित नाले पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम पिरदा से भंवरपुर मार्ग का मरम्मत एवं डामरीकरण करने,

(5) श्री रामदेव राम, सदस्य, पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोतीपुर से पाटन तक मार्ग चौड़ीकरण एवं डामरीकरण करने,

(6) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विक्रमपाली में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(7) श्रीमती कुमारी मदन साहू, सदस्य, संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरमरीकला में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(8) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम रायपुरा में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम सेन्दरी से डोमाडीह तक पक्की सड़क एवं सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(9) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलरगांव के पास स्थित नदी पर पुल निर्माण करने,

क्रमशः 3

(10) श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, भरतपुर-सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में हाई स्कूल खोलने तथा

(11) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, नगर निगम वार्ड क्रमांक-54 ग्राम मड़वाढोढ़ा में हाई स्कूल खोलने
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना)विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल,संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

30 मिनट (5) श्री अमर अग्रवाल,वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (6) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (7) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 29 मार्च, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.